


अधिनियम वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक)

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस - II" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा कोरबा जिला के कोरबा वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत करतला ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित 3.570 हे. वनभूमि एवं 0.473 हे. राजस्व वनभूमि, कुल वनभूमि रकबा 4.043 हे. वनभूमि का निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।


वनमण्डल अधिकारी,
कोरबा वनमण्डल, कोरबा,
जिला - कोरबा, (छत्तीसगढ़).

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

1 परियोजना विवरण :-

i. अपेक्षित वनभूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस - II" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा कोरबा जिला के कोरबा वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत करतला ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित 3.570 हे. वनभूमि एवं 0.473 हे. राजस्व वनभूमि, कुल वनभूमि रकबा 4.043 हे. वनभूमि की आवश्यकता है। उपरोक्त केबल रूट की 0.50 मीटर चौड़ाई पर 1.65 मीटर की गहराई पर भूमिगत केबल बिछाने का कार्य किया जाना है।

ii. 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

संलग्न है।

iii. परियोजना की लागत।

38 करोड़ 43 लाख

iv. वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

कोरबा जिला के कोरबा वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत करतला ब्लॉक ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने से समस्त ग्राम पंचायत डिजिटलीकृत हो जायेंगे जिससे ग्राम वासियों के पंचायत सम्बंधित कार्य त्वरित गति से तथा सुचारु रूप से सम्पादित होंगे।

v. लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)

आवश्यकता नहीं है।

vi. रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।

आवश्यकता अनुसार।

कुल अपेक्षित भूमि उद्देश्यवार विवरण।

कोरबा वनमंडल -4.043 हैं.
संरक्षित वन 2.039 हैं.
आरेंज वन 1.531 हैं.
राजस्व वन 0.473 हैं.

2 परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।

निरंक

i. परिवार की संख्या।

निरंक

ii. अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या।

निरंक

iii. पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)

निरंक

**3 क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है ?
(हां/नहीं)**

नहीं है।

4 प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)

आवश्यकता नहीं है।

5 निर्देशो के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजो का ब्यौरा।

चेकलिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज संलग्न है।



प्राधिकृत अधिकारी

टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

वास्ते - संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (आवेदक)

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)

रायपुर छत्तीसगढ़

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग - 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/OFC/443112/2019

1.	परियोजना /स्कीम का स्थान	
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	कोरबा
(iii)	वन प्रभाग	कोरबा
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर)	4.043 (हेक्टेयर)
(v)	वन कानूनी स्थिति	-
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.5 से 0.7
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल.,एफ. एफ. आर. एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ. आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाये।	आवश्यकता नहीं है।
(viii)	भूक्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	मृदा क्षरण की संभावना नहीं है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	प्रस्तावित योजना में 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने वनक्षेत्र से गुजरेगी।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)	नहीं हैं।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्रणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं हैं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्व/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं हैं।
2.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग -1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और	प्रयोक्त एजेंसी द्वारा भाग - 1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की माँग न्यूनतम एवं आवश्यक हैं।

	न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दे।	
3.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं हैं।
4.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
	(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	आवश्यकता नहीं है।
	(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर /अवक्रमित वनक्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	आवश्यकता नहीं है।
	(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि	आवश्यकता नहीं है।
	(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	आवश्यकता नहीं है।
	(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्रों की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्रा (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)	आवश्यकता नहीं है।
5.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 ;गपए गपपद्धए 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	आवश्यकता नहीं है।
6.	विभाग/जिला प्रोफाईल	
	(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	2820 वर्ग किलो मीटर
	(ii) जिले का वन क्षेत्र	2136.47 वर्ग किलो मीटर
	(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्रा	प्रकरण संख्या - 17, रकबा 1089.268 हे.

52

	(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक: (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर	2779.096 हेक्टर 20 हेक्टर
	(v) वर्ष 2015-2016 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति : (क) वन भूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर।	2779.096 हेक्टर 20 हेक्टर
7.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	Recommended & forwarded

दिनांक :- 21/6/20
स्थान :- ~~BA~~ KORBHA

गुरुनाथन एन., भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डलाधिकारी
कोरबा वनमंडल कोरबा
कोरबा वनमण्डल, कोरबा

भाग III
(संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 1 स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल है क्या :-
इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेपों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें ।
- 2 क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी :-
गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं ।
- 3 प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में :-
संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।

तिथि :-

स्थान :-

हस्ताक्षर
नाम
सरकारी मोहर

भाग -IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

- 1 टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार :-
करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।

(राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।)

तिथि :-
स्थान :-

हस्ताक्षर
नाम
सरकारी मोहर

55

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर
वन संरक्षक/व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

पंजीयन क्रमांक – FP/CG/OFC/443112/2019

1.	परियोजना का नाम	भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस - II" के अन्तर्गत कोरबा जिला के कोरबा वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत करतला ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने कार्य हेतु ।		
2.	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़.		
3.	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग	4.043 हेक्टेयर		
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
		कोरबा	कोरबा	करतला ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायत
5.	वनभूमि का विस्तृत विवरण			
	क. संरक्षित वन	परिक्षेत्र का नाम	वनखंड का नाम	कक्ष क्र. क्षेत्रफल हे. में
		करतला	कल्गामार	P1142 0.097
		करतला	रामपुर	P1157 0.182
		करतला	बेहरचुंवा	P1174 0.059
		करतला	नवापारा	P1151 0.055
		करतला	चोरभट्टी	P1149 0.151
		करतला	बड़मार	P1015 0.222
		करतला	करतला	P1034 0.049
		करतला	कोटमेर	P1014 0.209
		करतला	कोई	P995 0.084
		करतला	नोनबिरा	P1143 0.036
		करतला	नोनबिरा	P1146 0.062
		करतला	नोनबिरा	P1146 0.095
		करतला	बरपाली	P1165 0.040
		करतला	पहाड़गांव	P1166 0.075
		करतला	औराई	P1169 0.100
		करतला	केर्वाद्वारी	P1170 0.133

क. संरक्षित वन	करतला	केर्वाद्वारी	P1171	0.063
	कुदमुरा	चचिया	P1139	0.081
	कुदमुरा	चचिया	P1138	0.117
	कुदमुरा	कल्गामार	P1141	0.031
	कुदमुरा	लबेद	P1177	0.098
	योग			2.039
ख. नारंगी क्षेत्र	परिक्षेत्र का नाम	वनखंड का नाम	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल हे. में
	करतला	चोरभट्टी	OA1439	0.064
	करतला	रामपुर	OA1471	0.011
	करतला	रामपुर	OA1470	0.168
	करतला	चोरभट्टी	OA1462	0.074
	करतला	बड़मार	OA1447	0.031
	करतला	बड़मार	OA1449	0.025
	करतला	बड़मार	OA1449	0.025
	करतला	करतला	OA1446	0.084
	करतला	बड़मार	OA1448	0.085
	करतला	करतला	OA1446	0.038
	करतला	कोटमेर	OA1451	0.113
	करतला	नोनबिरा	OA1456	0.087
	करतला	नोनिबरा	OA1457	0.021
	करतला	सण्डैल	OA1504	0.050
	करतला	कथरीमाल	OA1506	0.007
	करतला	सण्डैल	OA1504	0.109
	करतला	औराई	OA1489	0.011
	करतला	औराई	OA1490	0.023
	करतला	लबेद	OA1495	0.026
	करतला	करेवाद्वारी	OA1485	0.094
	करतला	नोनबिरा	OA1458	0.105
	कोरबा	सरदुकला-डी	OA1305	0.074
	कोरबा	सरदुकला-स	OA1304	0.039
	कोरबा	पहरीपारा	OA1302	0.063
	कुदमुरा	कुदमुरा	OA1425	0.022
	कुदमुरा	कुदमुरा	OA1424	0.034
	कुदमुरा	चचिया	OA1429	0.048
	योग			1.531

घ. राजस्व वन क्षेत्र		तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हे. में
		करतला	चारमार	511	0.003
		करतला	मदवानी	363	0.003
		करतला	मदवानी	364	0.001
		करतला	नोनदरहा	648	0.005
		करतला	रामपुर	434	0.011
		करतला	रामपुर	10	0.015
		करतला	रामपुर	750/1	0.012
		करतला	बोतली	644/1	0.007
		करतला	टेंगनमार	423	0.056
		करतला	करतला	1224	0.008
		करतला	करतला	595	0.018
		करतला	कोटमेर	45/1	0.026
		करतला	कोटमेर	846	0.013
		करतला	नोनबिर्सा	359	0.023
		करतला	डोंगाआमा	1/1	0.037
		करतला	कनकी	1606	0.024
		करतला	सुपातराई	80	0.008
		करतला	चिकनीपाली	2/1	0.010
		करतला	चिकनीपाली	441/1	0.006
		करतला	चिकनीपाली	65/1	0.006
		करतला	चिकनीपाली	65/2	0.009
		करतला	चिकनीपाली	89/1	0.008
		करतला	औराई	419	0.014
		करतला	औराई	470	0.059
		करतला	औराई	7	0.018
		करतला	केर्वाद्वारी	420	0.018
		करतला	सेन्द्रीपाली	543	0.055
		योग			0.473
	कुल योग :-				4.043 हेक्टर
6.	आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	आवेदित क्षेत्र में मिश्रित वन है। प्रस्तावित ओ. एफ.सी. लाइन विद्यमान राइट-ऑफ-वे के सीमा में ही किया जाना है।			
7.	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	मार्गों के मौजूदा राइट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने कार्य में वृक्ष विदोहन नहीं किया जाना है। वृक्षों के विवरण की आवश्यकता नहीं है।अ			

8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरूत्पादन की स्थिति	
9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	आवश्यकता नहीं है।
10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर, बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	नहीं
11.	आवेदित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनक्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)	मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य किया जाना है अतः अन्य कोई विकल्प नहीं है।
12.	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें।	निरंक

प्रमाण – पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल : कोरबा जिला के कोरबा वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत करतला ब्लॉक

जिला – कोरबा छत्तीसगढ़

दिनांक : 21/6/20


 वनमण्डल अधिकारी,
 कोरबा वनमण्डल, कोरबा